राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 16.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में रामगंज व जयपुर में कोविड–19 का टेस्ट करवाने के लिए दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. रामगंज क्षेत्र –एक किलोमीटर के Containment Zone में RT-PCR जांच हेतु निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की जांच की जायेंगी।
   - ऐसे सभी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी (Hypertension, Diabetes, Asthma, COPD, CKD, TB, CAD, CHF, Cancer etc.) से ग्रसित है।
   - सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
   - कोरोना मरीज के सम्पर्क में आये सभी व्यक्ति
   - ILI/SARI (बुखार, खांसी–जुकाम, गला खराब होना, श्वांस फूलना) के सभी मरीज
   - इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी हैल्थ केयर वर्कर

2. जयपुर शहर के अन्य क्षेत्र (रामगंज को छोडकर) – Containment Plan के अनुसार चिन्हित सभी Buffer Zone तथा जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित सभी कोविड संवेदनशील क्षेत्रों में रेपिड टेस्टिंग किट के द्वारा निम्नानुसार जांच की जानी है:–
   - चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी ILI के मरीज
   - चिन्हित क्षेत्रों में संभावित High Risk persons/Super Spreader (दूध विक्रेता / सब्जी विक्रेता / किराना (राशन) की दुकान में मुख्य काउन्टर पर कार्य करने वाले व्यक्ति / सफाई कर्मचारी आदि)
   - इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी हैल्थ केयर वर्कर

3. प्रशासन की ओर से क्षेत्रों में IEC के माध्यम से लोगों को टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित किया जावें एवं प्रचार–प्रसार के दौरान जन मानस को सूचित किया जावे कि रेपिड टेस्ट के माध्यम यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कोरोना का प्रसार कितना है। साथ ही रेपिड टेस्ट में कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आना, व्यक्ति में कोरोना नहीं होने की पुष्टि नहीं करता। अतः कोरोना से बचाव हेतु सरकार द्वारा सुझाये गये सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये।

Buffer Zone, COVID संवेदनशील क्षेत्र का चिन्ह्किरण कर मुख्यालय से अनुमोदन पश्चात् ही कैम्पेन की शुरूआत करावें।

16/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड–19, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविधालय, जयपुर।
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जयपुर
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जयपुर
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
14. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

Buffer and Containment Zone

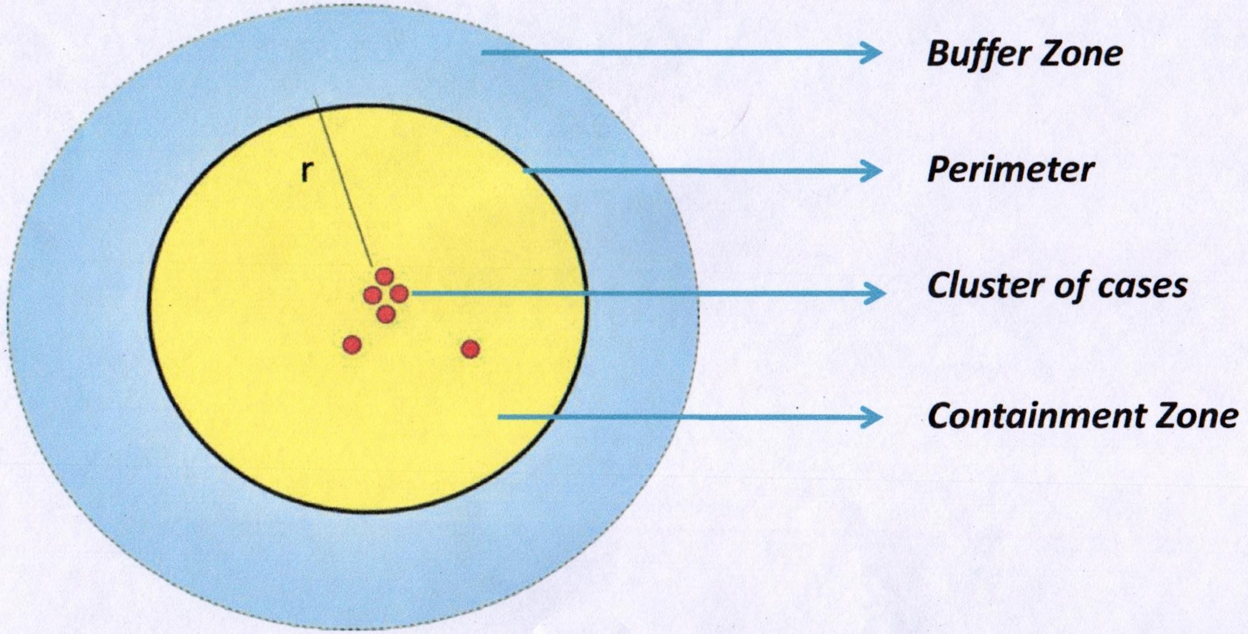

A containment operation (large outbreak or cluster) is deemed to be over
28 days from the date the last case in the district tests negative